राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग,

सं.एफ. 2(1)डीओपी/ए–II/2018 **जयपुर, दिनांक** 12·04·2018

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (निवारक शाखा) नियम, 1976 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (निवारक शाखा) (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 2 का संशोधन** .–राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (निवारक शाखा) नियम, 1976, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 2 के विद्यमान खण्ड (क) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (ख) से पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड (कक) अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

" (कक) "बोर्ड" से राजस्थान अधीनस्थ और लिपिकवर्गीय सेवा चयन बोर्ड अभिप्रेत है;"

3. **नियम 16 का प्रतिस्थापन.**– उक्त नियमों के विद्यमान नियम 16 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"16. आवेदन आमंत्रित करना.– सेवा में सम्मिलित पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आयोग/बोर्ड/या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, भरी जाने वाली रिक्तियों को राजपत्र में या ऐसी अन्य रीति से, जो ठीक समझी जाये, विज्ञापित करके, आमंत्रित किये जायेंगे। विज्ञापन में यह खण्ड होगा कि ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्तव्यभार स्वीकार करता है, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियत दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा और विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित पद के चालू वेतन बैंड में वेतन और ग्रेड वेतन, इन नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की तारीख से ही अनुज्ञात किया जायेगा:

परन्तु इस प्रकार विज्ञापित रिक्तियों के लिए अभ्यर्थियों का चयन करते समय आयोग/बोर्ड/या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी यदि उसे विज्ञापित रिक्तियों के 50 प्रतिशत

से अनधिक की अतिरिक्त आवश्यकता की सूचना चयन के पूर्व प्राप्त हो जाये, ऐसी अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का चयन भी कर सकेगा।"

4. **नियम 19 का प्रतिस्थापन.**– उक्त नियमों के विद्यमान नियम 19 के स्थान पर निम्नलिखित नये नियम प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:–

" **19. आवेदनों की संवीक्षा.**– आयोग/बोर्ड/या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी अपने द्वारा प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करेगा और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए अर्हित इतने अभ्यर्थियों से जितने वह वांछनीय समझे, लिखित परीक्षा में उपस्थित होने की अपेक्षा करेगा:

परन्तु किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में आयोग/बोर्ड/या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

19क. परीक्षा में प्रवेश.– (1) आवेदन, जो अपूर्ण पाये गये हों और जिन्हें आयोग/बोर्ड/या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार नहीं भरा गया हो, आयोग/बोर्ड/या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, प्रारंभिक स्तर पर ही अस्वीकृत कर दिये जायेंगे। आयोग/बोर्ड/या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी शेष अभ्यर्थियों में से उन अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा अनंतिम रूप से देगा जिन्हें वह प्रवेश प्रमाण पत्र देना उचित समझे। किसी भी अभ्यर्थी को तब तक परीक्षा में बैठने नहीं दिया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग/बोर्ड/या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उस परीक्षा में बैठने के लिए दिया गया प्रवेश प्रमाणपत्र न हो। परीक्षा में बैठने से पूर्व, अभ्यर्थी द्वारा स्वयं यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वह इन नियमों में यथा उपबंधित आयु, शैक्षिक अर्हताएं, अनुभव आदि से संबंधित शर्तें पूरी करता/करती है। परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा दे देने मात्र से ही अभ्यर्थी को पात्रता की उपधारणा कर लेने का हक प्राप्त नहीं हो जाता। आयोग/बोर्ड/या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी केवल उन अभ्यर्थियों के आवेदनों की संवीक्षा करेगा जो लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लें और पात्र पाये गये व्यक्तियों को मौखिक, या, यथास्थिति, आगे के परीक्षण/परीक्षा में प्रवेश का प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(2) अभ्यर्थी का परीक्षा में प्रवेश, पात्रता और शारीरिक दक्षता परीक्षण में पारिणामिक प्रवेश के संबंध में आयोग/बोर्ड/या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

19ख. परीक्षा का पाठ्य विवरण.– गश्त अधिकारी ग्रेड–II के पद पर सीधी भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्य विवरण अनुसूची– II में विनिर्दिष्टानुसार होगा और अन्य पदों पर सीधी भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्य विवरण अनुसूची– III में विनिर्दिष्टानुसार होगा।

19ग. शारीरिक उपयुक्तता और शारीरिक दक्षता परीक्षण.– (1) सेवा में सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार का मानसिक और शारीरिक नुक्स नहीं होना चाहिए जिससे सेवा के सदस्य के रूप में आबकारी विभाग में उसके श्रमसाध्य बाह्य कार्य का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा आने की संभावना हो और यदि वह चयनित हो जाये तो उसे सरकार द्वारा नियुक्त चिकित्सा बोर्ड का इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी से यथा विहित अप्रतिदेय फीस का संदाय करने की अपेक्षा की जा सकेगी। नियुक्ति प्राधिकारी पदोन्नति की नियमित पंक्ति में पदोन्नत अभ्यर्थी के मामले में या जो पहले से राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत हो, ऐसा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने से अभिमुक्त कर सकेगा यदि पूर्ववर्ती नियुक्ति के लिए उसकी स्वास्थ्य परीक्षा पहले ही कर ली गयी हो और उसके द्वारा धारित दोनों पदों के लिए स्वास्थ्य परीक्षा का आवश्यक मापमान नये पद के कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक पालन के तुल्य हो और आयु के कारण उस प्रयोजन के लिए उसकी कार्यदक्षता में कोई कमी न आयी हो। सरकार शारीरिक योग्यता के मापमान विहित करने के लिए पृथक रूप से अनुदेश जारी कर सकेगी।

(2) गश्त अधिकारी ग्रेड–II के पद पर सीधी भर्ती का अभ्यर्थी नीचे यथा विनिर्दिष्ट शारीरिक उपयुक्तता के न्यूनतम मापमान भी प्राप्त करेगाः–

कसौटी	सामान्य क्षेत्र		सहरिया और अनुसूचित क्षेत्र (टीएसपी)	
	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
न्यूनतम ऊंचाई	168 से.मी.	152 से.मी.	160 से.मी.	145 से.मी.
सीना (केवल पुरूष अभ्यर्थी के लिए)	सीना–81 से.मी. न्यूनतम (फैलाव न्यूनतम 5 से. मी.)	लागू नहीं	सीना–74 से.मी. न्यूनतम (फैलाव न्यूनतम 5 से.मी.)	लागू नहीं
वजन (केवल महिला अभ्यर्थी के लिए)	लागू नहीं	47.5 कि.ग्रा.	लागू नहीं	43 कि.ग्रा.

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के ऐसे अभ्यर्थियों को, जिनकी ऊंचाई और सीने का माप 5 से.मी. कम है को शारीरिक रूप से उपयुक्त माना जायेगा यदि उपरोक्त यथा

अधिकथित शारीरिक उपयुक्तता मापमान रखने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त अभ्यर्थी अपेक्षित संख्या में उपलब्ध नहीं हैं।

नस्लें जैसे कि असमिया, भूटानी, गढ़वाली, गोरखा, कुमाउनी, लद्दाखी, मिजो, नागा, नेपाली, सिक्किमी, के अभ्यर्थियों और जो अरूणाचल प्रदेश, लाहौल तथा स्पीति, मेघालय से हैं के मामले में निम्नलिखित शिथिल किये गये मापमान अनुज्ञात किये जा सकेंगेः–

कसौटी	पुरूष	महिला
ऊंचाई	160 से.मी.	145 से.मी.
सीना	सीना–79 से.मी. (फैलाव न्यूनतम 5 से.मी.)	लागू नहीं

ऐसे अभ्यर्थी जो ऊंचाई/सीना/वजन मापों के उपरोक्त विनिर्दिष्ट मापमानों को पूर्ण करने में विफल रहते हैं, अस्वीकृत किये जायेंगे।

(3) जमादार ग्रेड– II, आर्मरर, सिपाही और ड्राईवर के पद पर सीधी भर्ती का अभ्यर्थी,–
(i) शारीरिक उपयुक्तता के निम्नलिखित न्यूनतम मापमान प्राप्त करेगा, अर्थात्ः–

कसौटी	सामान्य क्षेत्र		सहरिया और अनुसूचित क्षेत्र (टीएसपी)	
	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
ऊंचाई	168 से.मी.	152 से.मी.	160 से.मी.	145 से.मी.
सीना	81 से.मी. (फैलाव न्यूनतम 5 से.मी.)	लागू नहीं	74 से.मी. (फैलाव न्यूनतम 5 से.मी.)	लागू नहीं
वजन	लागू नहीं	47.5 कि.ग्रा.	लागू नहीं	43 कि.ग्रा.

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी जिनकी ऊंचाई और सीने का माप 5 से.मी. कम है शारीरिक रूप से उपयुक्त माने जायेंगे यदि उपरोक्त यथा अधिकथित शारीरिक उपयुक्तता मापमान रखने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त अभ्यर्थी अपेक्षित संख्या में उपलब्ध नहीं हैं।

नस्लें जैसे कि असमिया, भूटानी, गढ़वाली, गोरखा, कुमाउनी, लद्दाखी, मीजो, नागा, नेपाली, सिक्किमी, के अभ्यर्थियों और जो अरूणाचल प्रदेश, लाहौल तथा स्पीति, मेघालय से हैं, के मामले में निम्नलिखित शिथिल किये गये मापमान अनुज्ञात किये जा सकेंगे:—

कसौटी	पुरूष	महिला
ऊंचाई	160 से.मी.	145 से.मी.
सीना	सीना—79 से.मी. न्यूनतम (फैलाव न्यूनतम 5 से.मी.)	लागू नहीं

ऐसे अभ्यर्थी, जो ऊंचाई/सीना/वजन मापों के उपरोक्त मापमानों को पूर्ण करने में विफल रहते हैं, अस्वीकृत किये जायेंगे; और

(ii) निम्नलिखित शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए:—

पद का नाम	पुरूष		महिला		भूतपूर्व सेना कार्मिक		सहरिया और अनुसूचित क्षेत्र (टीएसपी)अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति	
	परीक्षण	समय	परीक्षण	समय	परीक्षण	समय	परीक्षण	समय
जमादार ग्रेड— II	10 कि.मी. दौड़	60 मिनट	5 कि. मी.दौड़	35 मिनट	5 कि. मी.दौड़	30 मिनट	5 कि.मी. दौड़	30 मिनट
आर्मरर	10 कि.मी. दौड़	60 मिनट	5 कि. मी.दौड़	35 मिनट	5 कि. मी.दौड़	30 मिनट	5 कि.मी. दौड़	30 मिनट
ड्राईवर	10 कि.मी. दौड़	60 मिनट	5 कि. मी.दौड़	35 मिनट	5 कि. मी.दौड	30 मिनट	5 कि.मी. दौड़	30 मिनट
सिपाही	10 कि.मी. दौड़	60 मिनट	5 कि. मी.दौड़	35 मिनट	5 कि. मी.दौड़	30 मिनट	5 कि.मी. दौड़	30 मिनट

19घ. गश्त अधिकारी ग्रेड— II के पद पर चयन.— आयोग/या, यथास्थिति, बोर्ड, अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर एक सूची तैयार करेगा और उसे योग्यताक्रम में व्यवस्थित करेगा। आयोग/या, यथास्थिति, बोर्ड, शारीरिक उपयुक्तता

19घ. गश्त अधिकारी ग्रेड– II के पद पर चयन.– आयोग/या, यथास्थिति, बोर्ड, अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर एक सूची तैयार करेगा और उसे योग्यताक्रम में व्यवस्थित करेगा। आयोग/या, यथास्थिति, बोर्ड, शारीरिक उपयुक्तता परीक्षण के लिए (प्रवर्गवार) तीन गुना तक अभ्यर्थियों को बुलायेगा। शारीरिक उपयुक्तता परीक्षण अर्हक स्वरूप का होगा। आयोग/या, यथास्थिति, बोर्ड, उन अभ्यर्थियों की जिन्होंने शारीरिक उपयुक्तता प्रशिक्षण अर्हित किया है, की लिखित परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता सूची तैयार करेगा। आयोग/या, यथास्थिति, बोर्ड, इस प्रकार तैयार की गयी योग्यता सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा।

19ङ. गश्त अधिकारी ग्रेड– II से भिन्न पद पर चयन.– आयोग/बोर्ड/या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी जमादार ग्रेड– II, आर्मरर, ड्राईवर और सिपाही के पद के लिए लिखित परीक्षा संचालित करेगा। आयोग/बोर्ड/या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगा और लिखित परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यताक्रम में व्यवस्थित करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी या इस प्रयोजन के लिए गठित समिति शारीरिक उपयुक्तता परीक्षण के लिए (प्रवर्गवार) तीन गुना तक अभ्यर्थियों को बुलायेगी और अभ्यर्थी जिन्होंने शारीरिक उपयुक्तता परीक्षण अर्हित किया है, से शारीरिक दक्षता परीक्षण पूरा कर लेने की अपेक्षा की जायेगी। शारीरिक उपयुक्तता परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण अर्हक स्वरुप के होंगे। नियुक्ति प्राधिकारी या, यथास्थिति, समिति लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ऐसे अभ्यर्थियों की योग्यता सूची तैयार करेगा जो शारीरिक उपयुक्तता परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण अर्हित कर लेते हैं।"

5. नये नियम 20क का अन्तःस्थापन.– उक्त नियमों के विद्यमान नियम 20 के पश्चात् और विद्यमान नियम 21 से पूर्व निम्नलिखित नया नियम 20क अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"20क. बोर्ड द्वारा भर्ती.– इस अध्याय में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सेवा में सम्मिलित किसी पद पर भर्ती राजस्थान अधीनस्थ और लिपिकवर्गीय सेवा चयन बोर्ड नियम, 2014 के अधीन, राज्य सरकार द्वारा, बोर्ड को समनुदेशित की गयी है, तो बोर्ड आवेदन आमंत्रित करेगा और अभ्यर्थियों का चयन करेगा।"

6. अनुसूची का प्रतिस्थापन.– उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"अनुसूची–I

क्र.सं.	पद का नाम	भर्ती की रीति प्रतिशत सहित		सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव	पद जिससे पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हताएं और अनुभव
		सीधी	पदोन्नति			
1	2	3	4	5	6	7
1.	गश्त अधिकारी ग्रेड– I	–	100%	–	गश्त अधिकारी ग्रेड– II	स्तंभ संख्यांक 6 में उल्लिखित पद पर 3 वर्ष का अनुभव
2.	गश्त अधिकारी ग्रेड– II	50%	50%	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक या ऐसी अर्हता जो विधि द्वारा समतुल्य घोषित की गयी है और एन.सी.सी. का कम से कम 'सी' प्रमाणपत्र रखता हो। भूतपूर्व सेना कार्मिक के मामले में: (i) सूबेदार/रिसालदार या सेना के उच्चतर रैंक या वायु सेना या जल सेना का कोई समतुल्य सेना कार्मिक होना चाहिए; और (ii) सीनियर सैकण्डरी या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए या रोमन/ उर्दू प्रथम श्रेणी सेना शिक्षा प्रमाणपत्र धारित होना चाहिए।	जमादार ग्रेड–I	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से सीनियर सैकण्डरी या उसके समतुल्य अर्हता; और (ii) स्तंभ संख्यांक 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव; या यदि स्नातक हो तो 3 वर्ष का अनुभव।

3.	जमादार ग्रेड–I	–	100%	–	जमादार ग्रेड–II	स्तंभ संख्यांक 6 में उल्लिखित पद पर 3 वर्ष का अनुभव;
4.	जमादार ग्रेड–II	50%	50%	किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से सीनियर सैकण्डरी या उसके समतुल्य परीक्षा और राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999 में यथा विनिर्दिष्ट कम्प्यूटर अर्हता। भूतपूर्व सेना कार्मिक के मामले में रक्षा सेवाओं में नॉन–कमीशंड अधिकारी के रैंक का भूतपूर्व सेना कार्मिक।	सिपाही	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से सीनियर सैकण्डरी या उसके समतुल्य अर्हता; और स्तंभ संख्यांक 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव; या (ii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से सैकण्डरी या उसके समतुल्य अर्हता; और स्तंभ संख्यांक 6 में उल्लिखित पद पर 7 वर्ष का अनुभव।
5.	आर्मरर	100%	–	सेना/आर्मरर ट्रेड भूतपूर्व सशस्त्र सेना कार्मिक	–	–
6.	ड्राईवर	75%	25%	किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से आठवीं कक्षा या उसके समतुल्य परीक्षा साथ में भारी या हल्का ड्यूटी ड्राईविंग लाइसेंस और ड्राईवर के रूप में तीन वर्ष का वाहन चालन का अनुभव तथा उसके पास निम्नलिखित भी होना चाहिएः– (i) चश्में सहित या बिना चश्में के दृष्टि 6x6; (ii) रास्ते में वाहन की छोटी मोटी मरम्मत का ज्ञान और वाहन चालन में दक्षता जिसकी परीक्षा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ट्रेड परीक्षण के माध्यम से ली जायेगी।	सिपाही	(I.) स्तंभ संख्यांक 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव; और (II.) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से आठवीं कक्षा या उसके समतुल्य परीक्षा साथ में भारी या हल्का ड्यूटी ड्राईविंग लाइसेंस और ड्राईवर के रूप में तीन वर्ष का वाहन चालन का अनुभव तथा उसके पास निम्नलिखित भी होना चाहिएः– (i) चश्में सहित या बिना चश्में के दृष्टि 6x6; (ii) रास्ते में वाहन की छोटी मोटी मरम्मत का ज्ञान और वाहन चालन में दक्षता जिसकी परीक्षा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ट्रेड परीक्षण के माध्यम से ली जायेगी।

7.	सिपाही	100%	—	किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से सैकण्डरी या उसके समतुल्य परीक्षा और इन नियमों में विनिर्दिष्ट शारीरिक उपयुक्तता के वही अर्हक मापमान होने चाहिए। भूतपूर्व सेना कार्मिक के मामले में, भूतपूर्व सेना कार्मिक जिसने भारतीय थल सेना, जल सेना, वायु सेना में योधक के रूप में सेवा दी है और सैकण्डरी या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की है।	—	—

अनुसूची– II

गश्त अधिकारी ग्रेड– II के पद पर सीधी भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा के लिए स्कीम और पाठ्य विवरण
(नियम 19ख देखिए)

अभ्यर्थी को समस्त प्रश्न पत्रों में उपस्थित होना होगा। प्रश्न पत्र वस्तुपरक प्रकार का होगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अनुज्ञेय समय तीन घण्टे होगा और प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा। प्रश्न पत्र में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे:–

1. सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिन्दी
2. गणित, तार्किक ज्ञान, बौद्धिक योग्यता
3. राजस्थान के सामाजिक पहलू, भूगोल, इतिहास और संस्कृति के विशेष संदर्भ के साथ सामान्य ज्ञान, समसामयिक विषय आदि।

टिप्पण: 1. ऐसे अभ्यर्थियों से जिन्होंने लिखित परीक्षा अर्हित की है, शारीरिक उपयुक्तता परीक्षण जो अर्हक स्वरूप का है, के लिए उपस्थित होने की अपेक्षा की जायेगी।

2. प्रश्नपत्र सीनियर सैकण्डरी स्तर के होंगे सिवाय गणित के जो सैकण्डरी स्तर का होगा।

3. लिखित परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र की स्कीम और पाठ्य विवरण ऐसे होंगे जो नियुक्ति प्राधिकारी/बोर्ड द्वारा समय–समय पर विहित किये जायें।"

अनुसूची– III

गश्त अधिकारी ग्रेड–II से भिन्न पद (पदों) पर सीधी भर्ती के लिए पाठ्य विवरण

(नियम 19ख देखिए)

पद का नाम	लिखित परीक्षा का विवरण	अंक	शारीरिक उपयुक्तता/ शारीरिक दक्षता परीक्षण
सिपाही	राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ सैकण्डरी स्तर के सामान्य ज्ञान जिसमें दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, समसामयिक विषय आदि समाविष्ट हों, पर वस्तुपरक प्रकार के प्रश्न।	100	नियम 19ग के उप–नियम 3 में यथाविहित
जमादार ग्रेड– II और आर्मरर	राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ सीनियर सैकण्डरी स्तर के सामान्य ज्ञान जिसमें दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, समसामयिक विषय आदि समाविष्ट हों, पर वस्तुपरक प्रकार के प्रश्न।	100	नियम 19ग के उप–नियम 3 में यथाविहित
ड्राईवर	सुरक्षित वाहन चालन और रास्ते में वाहन की छोटी–मोटी मरम्मत सहित राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ सामान्य ज्ञान जिसमें दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, समसामायिक विषय आदि समाविष्ट हों, पर वस्तुपरक प्रकार के प्रश्न। पूछे गए प्रश्नों का स्तर आठवीं कक्षा के स्तर का होगा।	100	नियम 19ग के उप–नियम 3 में यथाविहित

टिप्पण :–ऐसे अभ्यर्थियों से जो लिखित परीक्षा अर्हित करते हैं, शारीरिक दक्षता परीक्षण/शारीरिक उपयुक्तता परीक्षण जो अर्हक स्वरुप के होंगे, के लिए उपस्थित होने की अपेक्षा की जायेगी।''

राज्यपाल के आदेश और नाम से

10/2018

संयुक्त शासन सचिव